उत्तर प्रदेश विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेष राज्य में माध्यमिक विद्यालयों द्वारा फीस के संग्रहण के विनियमन एवं इससे संसक्त और आनुशंगिक विशयों के लिए प्रबन्ध करने के लिए विधेयक।

अध्याय-1

प्रारंभिक

1-संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः- (1) इस विधेयक का नाम उत्तर प्रदेष विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2016 है।

(2)इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेष राज्य में होगा।

2-परिभाशाः-इस विधेयक में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क)"षैक्षणिक" वर्श से, नियमों इस रूप में विहित बारह माह की कोई कालावधि अभिप्रेत हैय

(ख)"सहायता प्राप्त विद्यालय" से, राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में कोई भी धनराषि प्राप्त कर रहा विद्यालय अभिप्रेरित हैैय

(ग)"समिति" से, धारा-5 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत हैय

(घ)"जिला समिति" से, धारा-11 के अधीन गठित जिला समिति अभिप्रेत हैय

(ड.)"फीस" से, किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में किसी छात्र के प्रवेष के लिए किसी विद्यालय द्वारा प्रत्येक्ष या अप्रत्येक्ष रूप से संगृहीत कोई भी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से हो, अभिप्रेत हैय

(च)"सरकार" से, उत्तर प्रदेष राज्य की सरकार अभिप्रेत है

(छ)"सरकारी विद्यालय " से, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है कोई विद्यालय अभिप्रेत हैय

(ज)"स्थानीय प्राधिकारी " से, उत्तर प्रदेष नगरपालिका अधिनियम , 1973 के अधीन गठित कोई नगरपालिका या उत्तर प्रदेष पंचायती राज अधिनियम के अधीन गठित कोई पंचायती राज संस्था अभिप्रेत हैय

(झ) किसी विद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्धन" से, उत्तर प्रदेष माध्यमिक षिक्षा अधिनियम , 1921 के अधीन गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति , व्यक्तियों का निकाय, समिति

या कोई भी अन्य षासी निकाय , चाहे उसका जो भी नाम हो , जिसमें किसी विद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध या प्रषासन करने की षक्ति निहित है, सम्मिलित हैय

(ञ)"विहित" से, इस विधियेक के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है

(ट)"प्राइवेट विद्यालय " का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा स्थापित और प्रषासित या पोशित किसी विधि के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित किसी भी प्री-प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाईस्कूल या हायर सेकेण्ड्री स्कूल से है, किन्तु इसके अन्तर्गतः-

(प) केन्द्रीय सरकारी या राज्य सरकार द्वारा स्थापित और प्रषासित विद्यालय सम्मिलित नहीं हैः

(ठ)"नियम" से, इस विधियेक के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैय

(ड)"विद्यालय" से 10$2 स्तर तक षिक्षा प्रदान करने वाली विद्या की कोई संस्था अभिप्रेत हैय

3-अधिक फीस के संग्रहण का प्रतिबन्ध-(1) कोई भी सरकारी विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय उस विद्यालय में किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेष के लिए सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस संगृहीत नहीं करेगा।

(2)किसी भी प्राइवेट विद्यालय में किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेष के लिए-

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा , जो ऐसे प्राइवेट विद्यालय का प्रभारी है , या उसके प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी हैय या

(ख) किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, या तो स्वयं के लिए या ऐसे प्राइवेट विद्यालय के निमित्त या ऐसे प्राइवेट विद्यालय के प्रबन्धन के निमित्त,

इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा अवधारित फीस से अधिक कोई फीस संगृहीत नहीं की जायेगी।

4-सरकार द्वारा फीस नियत करना-सरकार , सरकारी विद्यालयों और सहायता प्राप्त विद्यालयों में किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेष के लिए फीस नियत करेगी।

5-समिति का गठन-(1) राज्य सरकार, प्राइवेट विद्यालयों किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेष के लिए फीस अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक समिति गठित करेगी।

(2)समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात-

(क) सरकार द्वारा नाम निर्देषित, उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त

न्यायाधीष - **अध्यक्ष**

(ख) प्रमुख सचिव, माध्यमिक षिक्षा, उत्तर प्रदेष षासन- **पदेन सदस्य**

(ग) षिक्षा निदेषक(मा0), उ0प्र0 - **पदेन सदस्य**

(घ) षिक्षा निदेषक(बे0), उ0प्र0 - **पदेन सदस्य**

(ड.) मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग- **पदेन सदस्य**

(च) उप सचिव, उत्तर प्रदेष षासन, षिक्षा अनुभाग-8 **सदस्य-सचिव**

(3)अध्यक्ष की पदावधि, उसके नामनिर्देषन की तारिख से तीन वर्श की कालावधि के लिए होगी और इससे पूर्व किसी भी कारण से होने वाली रिक्ति के मामले में , ऐसे रिक्ति षेश पदावधि के लिए भरी जायेगी।

(4)अध्यक्ष, ऐसी दर पर बैठक की फीस और यात्रा-भत्ता आहरित करने का पात्र होगा , जो विहित की जाय।

(5)समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही समिति में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रृटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

6-फीस के अवधारण के कारक-(1) समिति, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, किसी प्राइवेट विद्यालय द्वारा उद्ग्रहणीय फीस अवधारित करेगी, अर्थात-

(क) प्राइवेट विद्यालय की अवस्थिति,

(ख) उपलब्ध अवसंरचना

(ग) प्रषासन और रखरखव पर व्यय

(घ) प्राइवेट विद्यालय की बृद्धि और विकास के लिए अपेक्षित युक्ति युक्त अवषेश

(ङ) कोई भी अन्य कारक विहित किया जाय।

(2)समिति, किसी प्राइवेट विद्यालय द्वारा उद्गृहणीय फीस अवधारित करने पर , अपना विनिष्चय सम्बन्धित विद्यालय को संसूचित करेगी।

(3)समिति के विनिष्चय से व्यथित कोई भी प्राइवेट विद्यालय , समिति के विनिष्चय की प्राप्ति की तारिख से तीस दिन के भीतर, अपना आक्षेप समिति के समक्ष फाइल करेगा।

(4)समिति, प्राइवेट विद्यालय के आक्षेप पर विचार करेगी और ऐसे आक्षेप की प्राप्ति की तारिख से तीस दिवस के भीतर-भीतर आदेष पारित करेगी।

(5)समिति द्वारा पारित आदेष अन्तिम होगा और तीन षैक्षणिक वर्शों के लिए उस प्राइवेट विद्यालय पर आबद्धकर होगा और तत्पष्चात वह प्राइवेट विद्यालय पुर्नरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(6)समिति, वे भिन्न-भिन्न षीर्श उपदर्षित करेगी जिनके अधीन फीस उद्गृहीत की जायेगी।

(7)समिति की षक्तियां और कृत्य-(1) समिति की निम्नलिखित षक्तियां एवं कृत्य होगे-

(क) प्राइवेट विद्यालयों द्वारा संगृहीत की जाने वाली फीस अवधारित करनाय

(ख) उसके द्वारा अवधारित या यथास्थिति, सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस संगृहीत किये जाने के बारे में परिवाद सुनना। यदि समिति , सम्बन्धित प्राइवेट विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धन से या सरकारी विद्यालय से साक्ष्य और स्पश्टीकरण करने के पष्चात इस निश्कर्श पर पहुंचती है कि उस प्राइवेट विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय समिति द्वारा अवधारित या यथास्थिति , सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस संगृहीत की है तो वह उस प्राइवेट या सहायता प्राप्त विद्यालय की मान्यता रद करने के लिए या प्राइवेट विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय या सरकारी विद्यालय के सम्बन्ध में अन्य ऐसी कोई कार्यवाही करने के लिए , जो वह ठीक समझे, समुचित प्राधिकारी को सिफारिस करेगी।

(2) समिति को-

(क) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय से, ऐसी तारीख तक को जो समिति द्वारा विनिर्दिश्ट की जाय, समस्त सुसंगत प्रत्यवेदन और लेखा पुस्तकों सहित, ऐसे विद्यालय की प्रस्तावित फीस संरचना को संवीक्षा के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने की षक्ति होगीय

(ख) यह सत्यापित करने की षक्ति होगी कि प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस न्यायसंगत है और मुनाफाखोरी या अत्याधिक फीस प्रभारित करने की कोटि में नहीं आती है।

(3)समिति को, उसके स्वयं के कृत्यों के निर्वाहन में उद्भूत होने वाले समस्त मामलों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की षक्ति होगी , और उसे इस विधियेक के अधीन कोई भी जांच करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में , किसी वाद का विचार करते समय , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या- 5, 1908) के अधीन सिविल न्यायालय की समस्त षक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात-

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और षपथ पर उसकी परीक्षा करानाय

(ख) किसी भी दस्तावेज का प्रक्टीकरण और पेष किया जानाय

(ग) षपथ-पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति

(घ) साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीषन जारी करना

8-लेखाओं का विनियमन-सरकार , प्राइवेट विद्यालयों द्वारा लेखाओं के संधारण को ऐसी रीति से विनियमित कर सकेगी, जो विहित की जाय।

9-षास्तियां-(1) जो कोई भी, इस विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करता है , वह दोशसिद्धि पर, ऐसी अवधि की कारावास से , जो एक वर्श से कम नहीं होगा , किन्तु जो तीन वर्श तक हो सकेगा , और जुर्माने से, जो पचास हजार तक हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किये जाने वाले किसी पर्याप्त और विषेश कारण से , एक वर्श से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेष अधिरोपित कर सकेगा।

(2)इस धारा के अधीन सिद्धदोश व्यक्ति उस छात्र को , जिससे इस विधियेक के उपलब्धों के उपलंघन में अधिक फीस संगृहीत की गयी थी, ऐसी अधिक फीस बढ़ जायेगा।

10-कम्पनियां द्वारा अपराध-(1) जहां इस विधेयक के उपलब्धों में से किसी उपलब्ध के विरूद्ध कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है , वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी था , और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनीय भी उस अपराध के लिए दोशी समझे जायेंगे और तदानुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डदित किये जाने के भागी होंगेंः

परन्तु इस उपधारा में अन्र्तविश्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी भी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक तत्परता बरती थी।

(2)उप धारा-(1) में अन्तर्विश्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसा कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेषक , प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेषक , प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोशी समझा जायेगा और तदानुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पश्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(क)"कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है , और इसमें कोई न्यास , फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य संगठन सम्मिलित है, और

(ख)"निदेषक" से,

(प) फर्म के सम्बन्ध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है

(पप) किसी सोसाइटी, न्यास या व्यश्टियों के अन्य संगम के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको उस सोसाइटी, न्यास या अन्य संगम के नियमों के अधीन सोसाइटी , न्यास या, यथास्थिति, अन्य संगम के कार्यकलापों का प्रबन्ध न्यस्त किया गया है।

11-जिला समिति-(1) सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला समिति गठित की जायेगी जो एक अध्यक्ष से, जो षिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक से अनिम्न रैंक का अधिकारी होगा , और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विहित किये जायें।

(2) जिला समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उक्त समिति का कोई भी सदस्य , किसी प्राइवेट विद्यालय के कार्य के सामान्य घण्टों के दौरान किसी भी समय ऐसे प्राइवेट विद्यालय में या उसके किसी परिसर में या ऐसे प्राइवेट विद्यालय के प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी परिसर में प्रवेष कर सकेगा, उक्त समिति या सदस्य के पास यह विष्वास करने का कारण हो कि इस विधेयक या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन है या किया गया है, और जहां तक कोई भी ऐसा अभिलेख , लेखे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज ऐसे प्राइवेट विद्यालय से सम्बन्धित है , ऐसे प्राइवेट विद्यालय या उसके प्रबन्धन के किसी अभिलेख , लेखाओं, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की तलासी और निरीक्षण कर सकेगा, और यह अभिनिष्चय करने के प्रयोजन के लिए कि वहां ऐसा कोई उल्लंघन है या किया गया है, ऐसे किसी अभिलेख, लेखाओं, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या- 2, 1974) के तलाषी और अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध, जहां तक हो सके, उपधारा (2) के अधीन तलाषी अभिग्रहण पर लागू होगा।

12-अपराधों का संज्ञान-कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, सरकार या ऐसे अधिकारी, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, की मंजूरी के सिवाय नहीं करेगा।

13-अन्य विधियों का प्रवर्तन-इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे ओर उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

14-सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण-इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आषयित किसी बात के लिए सरकार या उसके किसी

अधिकारी, समिति या उसके सदस्यों, जिला समिति या उसके सदस्यों या इस विधियेक के द्वारा या अधीन षक्ति का प्रयोग या कृत्यों का पालन करने के लिए सषक्त किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

15-कठिनाइयों का निवारण-(1) यदि इस विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा, कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगी, जो इस विधेयक के उपबन्धों के असंगत न हो , जो कठिनाई के निवारण के लिए उसे आवष्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु, इस धारा के अधीन कोई भी आदेष इस विधेयक के प्रारम्भ से दो वर्श के समाप्ति के पष्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेष , उसके इस प्रकार किये जाने के पष्चात , यथाषाक्य षीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

16-नियम बनाने की षक्ति-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम , उनके इस प्रकार बनाये जाने के पष्चात यथाषाक्य षीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चैदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविश्ट हो सकेगी , रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई उपान्तरण करता है या संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पष्चात ऐसा नियम केवल ऐसे उपरान्तरित रूप से प्रभावी होगा या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गई किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।